न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

मिसल संख्या : अपील 14(5) / 17 अपील बनाम राज्य सरकार

ता. 06/2016

विशेष विवरण	कार्यवाही आज्ञा दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	..-6-17	पत्रावली पेश हुई वकलाय पक्षकान हाजिर। बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30-6-17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
	30-6-17	पत्रावली पेश हुई वकलाय पक्षकान हाजिर। प्रार्थना-पत्र 14(5) स्वीकार किया जाता है। निगरानी आदेश 18.7.1968 एवं 31-5-1973 निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर कर हो। निर्णय आज दिनांक 30-6-2017 को खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय), जयपुर।

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या : 06 / 2016

तहसीलदार, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र किशनलाल, जाति–जाट, निवासी–महाचन्दपुरा, तहसील– चाकसू (मृतक)।
   - 1/1 मोतीराम पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप, जाति–जाट, निवासी–महाचन्दपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर ।
   - 1/2 श्रीराम पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप, जाति–जाट, निवासी–महाचन्दपुरा, तहसील –चाकसू, जिला–जयपुर ।
   - 1/3 रामलाल पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप, जाति–जाट, निवासी–महाचन्दपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर ।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 18.07.1968 तहसीलदार, चाकसू एवं उप खण्ड अधिकारी, जयपुर दिनांक 31.05.1973 जिला–जयपुर)।

उपस्थितिः–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री मदनलाल चौधरी, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 1/1 लगायत 1/3 की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 30.06.2017**

ग्राम महाचन्दपुरा की साबिका आराजी खसरा नं0 143 रकबा 1 बीघा किंस्म जमीन गैर–मुमकीन नाला रकबा 1 बीघा एवं आराजी खसरा नं0 246 रकबा 8 बिस्वा किस्म जमीन बंजड तहसीलदार, चाकसू द्वारा दिनांक 18.07.1968 को रामस्वरूप पुत्र श्री किशनलाल, जाति जाट, निवासी–महाचन्दपुरा को आंवटित की गई है, इस आंवटित आराजी पर आंवटी का कब्जा नही होने के कारण नामान्तरकरण की कार्यवाही नही हुई तथा उप खण्ड अधिकारी, जयपुर ने आज्ञा दिनांक 31.05.1973 द्वारा आ0ख0नं0 143 मिन रकबा 1 बीघा के बजाय आ0ख0नं0

202 मि0 रकबा 1 बीघा किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला आंवटित की है जिससे व्यथित होकर यह प्रार्थना–पत्र आंवटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत हुआ हैं।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि आवंटन दिनांक 18.07.1968 एवं 31.05.1973 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरित किया गया हैं। खसरा नं0 143 रकबा 01 बीघा का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने से पूर्व वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण नहीं किया गया। आवंटन से पूर्व यदि मौके एवं राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट की जाती तो गलत आवंटन हो ही नहीं सकता था। आवंटित की गई भूमि की किस्म गैर–मुमकिन नला है और मौके पर नाला हैं। काश्त योग्य नहीं हैं। इसी कारण इस आराजी के बदले उप खण्ड अधिकारी जयपुर द्वारा आ0ख0नं0 202 मि0 रकबा 1 बीघा आज्ञा दिनांक 31.05.1973 द्वारा दी गई है, जो भी गैर–मुमकिन नाला की आराजी हैं। किस्म परिवर्तित कर तालाबी होना अंकित किया हैं परन्तु उप खण्ड अधिकारी को किस्म परिवर्तन के अधिकार नहीं हैं। आ0ख0नं0 246 मि0 रकबा 8 बिस्वा किस्म बंजड के नवीन ख0नं0 900 रकबा 14 बिस्वा किस्म बारानी बने हैं जो राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज हैं। ख0नं0 900 रकबा 14 हे0 में से 5 हे0 आराजी एनएच–12 के विस्तार में अवाप्त हो चुकी हैं तथा शेष 0.09 हे0 सिवाचक खाते में दर्ज हैं। आंवटित आराजी आंवटन नियमों के अन्तर्गत आंवटन हेतु उपलब्ध नहीं थी और नियमों के विपरीत आंवटित की गई हैं। आंवटी का कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा हैं और आंवटन की शर्तो की पालना भी नहीं की गई हैं। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आंवटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री मदनलाल चौधरी का कथन हैं कि चुनौती अधीन आंवटन आज्ञा दिनांक 18.07.1968 व 31.05.1973 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। विद्वान् राजकीय अभिभाषक का यह कथन गलत है कि विवादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण नही किया गया बल्कि सही तथ्य तो यह है कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर निरीक्षण किया गया हैं और भूमि आवंटन योग्य पाये जाने पर ही आराजी का आवंटन अप्रार्थी के हक में हुआ हैं मौके पर कब्जा सम्भलाया गया हैं और आज भी आंवटी के वारिसान का कब्जा–काश्त हैं। आंवटी के हक में नामान्तरकरण नहीं खोला तो इसमें आंवटी अथवा आंवटी के वारिसान का कोई दोष नहीं हैं। राजस्व कारकूनान

न्यायालय अति. कलक्टर (प्रथम) जयपुर

की ड्यूटी थी कि वह इस आंवटन का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में करते। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू में दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेघाज्ञा विचाराधीन है। एक दीर्ध अवधि के पश्चात् आवंटन को गैरकानूनी रूप से चुनौती दी गई हैं जो अत्यधिक विलम्ब होने से निरस्तनीय हैं। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त फरमाया जावे। आवंटन दिनांक 18.07.1968 व 31.05.1973 को यथावत् रखा जाने के आदेश दिए जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लंधन करने का कथन किया हैं और इसी आधार पर प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया हैं। आवंटी के वारिसान के विद्वान् अभिभाषक द्वारा यह तो कथन किया गया है कि आंवटित आराजी पर कब्जा काश्त है परन्तु साक्ष्य में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जो यह सिद्ध करते हो कि वादग्रस्त आराजी पर आंवटी का अथवा आंवटी के वारिसान का कब्जा काश्त रहा हो । इस प्रकार कब्जा काश्त सिद्ध न होने से आंवन्टन की शर्तो की पालना में काश्त किया जाना सिद्ध नहीं होने से आंवन्टन को निरस्तनीय पाते है। आंवन्टित आराजी राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आंवन्टन) नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आंवन्टन हेतु अनुपलब्ध आराजी थी इसके बावजूद भी बिना राजस्व अभिलेख की जॉच किये गैर–मुमकीन नाला/तालाबी आराजी का एवं राजपथ के समीप की आराजी का आंवन्टन नियमों के विपरीत किया गया है जो नियमों के विपरीत होने से अवैध है और निरस्तनीय है। आंवन्टी द्वारा जो आराजी खसरा नम्बर 900 के लिऐ दावा विचाराधीन होना जाहिर किया है उससे विचारण प्रकरण पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पड़ता है। अतः उक्त विवेचनानुसार आंवन्टी द्वारा आंवन्टन की शर्तो की पालना न करने, मौके पर कब्जा काश्त न होने तथा नियमों के विपरीत आंवन्टन किये जाने के कारण आंवन्टन को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं पाते है अतः प्रार्थना–पत्र 14(4) स्वीकार किया जाता है आंवन्टी के हक में किया गया आंवन्टन दिनांक 18.07.1968 एवं 31.05.1973 निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर